अंक 33 । संख्या 2 । फरवरी 2026

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

परामर्श
दिव्यांगता विषयक कोर ग्रुप बैठक

रिपोर्ट
विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटर्स की बैठक

मानव अधिकार

न्यूजलेटर

अंक 33 । संख्या 2 । फरवरी 2026

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन कक्षा तृतीय तक के विद्यार्थियों की प्रथम श्रेणी में बाल चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार प्रदान करते हुए

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महासचिव श्री भरत लाल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग के चार सप्ताह के प्रत्यक्ष शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागी विद्यार्थी

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

परामर्श

4 दिव्यांगता विषयक कोर ग्रुप बैठक

रिपोर्ट

7 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स की बैठक

10 स्वत:संज्ञान

11 राहत के लिए सिफारिशें

12 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

13 केस स्टडी

14 घटनास्थलपूछताछ

क्षेत्रीय दौरे

14 एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा किये गये दौरे

15 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

16 शीतकालीन इंटर्नशिप

17 प्रशिक्षण कार्यक्रम

19 ज्ञानार्जन दौरे

20 मूट कोर्ट

20 **नव नियुक्ति**

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

21 श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

23 एपीएफ मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम

23 ऑनलाइन सहभागिता

23 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**

25 **संक्षेप में समाचार**

31 **आगामी कार्यक्रम**

31 **जनवरी 2026 में प्राप्त शिकायतें**

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, मानव अधिकार संरक्षकों और समुदायों, विशेष रूप से सबसे कमजोर समूहों के साथ साझेदारी बनाने और काम करने में विश्वास रखता है। आज मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता, सहानुभूति, निवारक कार्रवाई के लिए सहयोग और संकीर्ण सोच से परे जाकर सोचने का साहस होना आवश्यक है। इस माह की गतिविधियाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संवैधानिक संरक्षक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती हैं, जो नीतिगत कक्षों से लेकर अंतिम छोर तक निरंतर कार्य करता है।

इस माह के दौरान आयोजित एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन पर एनएचआरसी की कोर ग्रुपि की बैठक शामिल थी। दिव्यांगता लाभों के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है, लेकिन आयोग ने व्यापक और पूर्व व्यापी पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ चेतावनी दी, जो दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कानूनी सुरक्षा उपायों और रोजगार सुरक्षा को कमजोर करते हैं। सामूहिक सत्यापन के बजाय लक्षित जांच पर जोर देते हुए, चर्चाओं में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन में कमियों को उजागर किया गया, जिसमें चिकित्सा बोर्डों तक खराब पहुंच और प्रक्रियात्मक अस्पष्टता शामिल है। यूडीआईडी-आधारित डिजिटल सत्यापन, आवास-केंद्रित मूल्यांकन और स्पष्ट अपील प्रक्रिया की मांग एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है। शासन को प्रमाणिक दिव्यांग व्यक्तियों के विश्वास या गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना प्रणालियों की रक्षा करनी चाहिए। इस परामर्श पर एक रिपोर्ट इस न्यूज़लेटर के इस अंक में प्रकाशित की गई है।

आयोग ने एनएचआरसी के नव नियुक्त 33 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स की एक बैठक भी आयोजित की। ये पदाधिकारी भारत के मानव अधिकार संस्थागत ढांचे में विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जमीनी स्तर पर प्रभावित व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र दौरे, विषयगत जांच और प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से, उनकी रिपोर्ट आयोग को संवैधानिक वादों को सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक जीवन में उतारने में मदद करती हैं। इसलिए, विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर एक तरह से आयोग के मार्गदर्शक हैं। वे व्यवस्थागत कमियों, प्रशासनिक निष्क्रियता और साक्ष्य-आधारित मानव अधिकार उल्लंघनों के उभरते स्वरूपों की पहचान करते हैं। उनके अवलोकन आयोग के लिए नीतिगत सिफारिशों, परामर्शियों और स्वतः संज्ञान लेने के लिए उपयोगी इनपुट के रूप में कार्य करते हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के कार्यान्वयन की एनएचआरसी की समीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा, स्वैच्छिक हस्तक्षेपों के परिणाम और एनएचआरसी मोबाइल ऐप सहित कई पहुंच बिंदुओं के माध्यम से पहुंच का विस्तार यह दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी और शासन किस प्रकार मिलकर ठोस प्रभाव डाल सकते हैं। पहुंच को मजबूत करना, जवाबदेही और करुणा को बढ़ावा देना एनएचआरसी के हस्तक्षेपों का मुख्य केंद्र है, ताकि केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सिफारिशें दी जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।

ये प्रयास भारत की सभ्यतागत विचारधारा पर आधारित हैं। भारत एक 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है जिसकी नींव न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सहानुभूति और करुणा पर रखी गई है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ संवैधानिक और संस्थागत ढांचा तैयार किया है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, अर्थात् जीवंत मीडिया की निगरानी में गरिमा और न्याय को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा वैश्विक उदाहरण स्थापित करते रहें, जो अनुकरणीय हो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2026 में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य को और व्यापक बनाया गया, जहाँ मैंने वन हेल्थ से प्लनरी हेल्थ स्वास्थ्य की ओर संक्रमण पर आधार व्याख्यान दिया। स्वास्थ्य को अभी भी बहुत संकीर्ण रूप में देखा जाता है। यह जलवायु स्थिरता, पर्यावरणीय अखंडता, जल सुरक्षा, खाद्य प्रणाली, शहरी डिजाइन और कार्य परिस्थितियों जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। ये सभी आयोग के मानव अधिकारों को विभिन्न रूपों में बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के जनादेश के अंतर्गत आते हैं।

महामारी, लू, वायु प्रदूषण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और जल संकट भी अलग-थलग संकट नहीं हैं; ये मानवीय विकल्पों और ग्रह की सीमाओं के बीच असंतुलन के व्यवस्थित संकेत हैं। भारत भी विशेषकर सर्दियों के दौरान अपने कई शहरों में वायु गुणवत्ता संकट का सामना कर रहा है। ये चुनौतियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का रूप ले लेती हैं जो गरीबों, महिलाओं, बच्चों, अनौपचारिक श्रमिकों, आदिवासी समुदायों और बुजुर्गों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। ये स्वास्थ्य और उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव पूंजी का पलायन होता है, जो अंततः राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधा डालता है।

राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ताप कार्य योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगा, अमृत सरोवर और जलवायु परिवर्तन निवारण ढाँचे जैसी पहलों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन वर्तमान समय में एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ग्रहीय स्वास्थ्य एक मूलभूत प्रश्न उठाता है: सतत मानव कल्याण के लिए कौन सी ग्रहीय परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? क्या अधिकारों के परिप्रेक्ष्य से, स्वास्थ्य का अधिकार, जो जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, स्वच्छ वायु, सुरक्षित जल, पर्याप्त आवास, सम्मानजनक कार्य और एक रहने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र से अविभाज्य है? वास्तव में, एक सतत ग्रह के बिना सतत स्वास्थ्य संभव नहीं है।

एनएचआरसी, भारत अपने विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों को उजागर कर रहा है ताकि भविष्य का मार्ग खोजा जा सके। ये प्रयास समावेशी और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय संवाद के साथ जोड़ने के आयोग के दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, जनवरी में श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के साथ उनकी ज्ञानार्जन दौरे के दौरान हुए विमर्श ने वैश्विक दक्षिण में लोकतांत्रिक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया। इसके अलावा, कुआलालमपुर में एशिया प्रशांत फोरम के मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी ने व्यावहारिक, सहकर्मी-आधारित शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के भीतर लैंगिक रणनीतियों को मजबूत करने के महत्व को उजागर किया।

मानव मूल्यों के भावी संरक्षकों में निवेश करना एनएचआरसी के मिशन का केंद्रबिंदु बना हुआ है। शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (25 दिसंबर 2025 – 9 जनवरी 2026) अनुशासन, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश करने वाले 80 प्रतिभाशाली छात्रों के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अकादमिक कठोरता के अलावा, इस कार्यक्रम ने रूढ़ियों को तोड़ने, पूर्वाग्रहों और विरासत में मिली मान्यताओं को चुनौती देने को प्रोत्साहित किया। ये प्रशिक्षु जब अपने संस्थानों में लौटते हैं, तो वे न केवल ज्ञान लेकर जाते हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने, गरिमा को बनाए रखने और मानव अधिकार संरक्षकों के रूप में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी लेकर जाते हैं। संस्थान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानव अधिकारों का भविष्य अंततः प्रतिबद्ध व्यक्तियों पर निर्भर करता है।

हर नागरिक समाज आंदोलन और अभियान के पीछे एक व्यक्तिगत प्रेरक शक्ति होती है। इस संदर्भ में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का कार्य एक उदाहरण है, जिसने नागरिक नेतृत्व वाली गतिविधियों की 38वीं वर्षगांठ मनाई और एक छोटी पहल से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित संस्था के रूप में विकसित हुई। शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, नशामुक्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पुलिस साझेदारी के क्षेत्र में इसका समग्र कार्य दर्शाता है कि गरिमा के बिना विकास अधूरा है और अवसर के बिना गरिमा टिकाऊ नहीं है।

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में आयोग की गतिविधियाँ हमें याद दिलाती हैं कि मानव अधिकार अमूर्त आदर्श नहीं हैं। वे शासन, पर्यावरण, शिक्षा और सामूहिक चेतना द्वारा आकार दिए गए रोजमर्रा के जीवन के जीवंत अनुभव हैं। गरिमा, न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को समाज में मानव अधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि आयोग की विविध गतिविधियों पर केंद्रित रिपोर्टें और नियमित लेख न्यूज़लेटर के इस अंक को रोचक बनाएंगे।

भरत लाल
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

परामर्श

दिव्यांगता विषयक कोर ग्रुप बैठक

27 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने नई दिल्ली में 'सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों के पुनर्सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघन' विषय पर एक कोर ग्रुप बैठक का आयोजन किया। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने की। बैठक में न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और श्रीमती विजया भारती सयानी; महासचिव श्री भरत लाल; कोर ग्रुप के सदस्य; विशेष आमंत्रित; अन्य वरिष्ठ अधिकारी; सरकारी प्रतिनिधि; और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के साथ नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगता विषयक कोर ग्रुप बैठक में उपस्थित

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को जारी सरकारी नौकरियों/शिक्षा में दिव्यांगता सत्यापन से संबंधित संशोधित परामर्शी और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्वाभाविक रूप से केवल नए आवेदकों पर लागू होती है, न कि सभी मौजूदा लाभार्थियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए। उन्होंने कहा कि सभी पर एसओपी को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, सामूहिक सत्यापन के बजाय, जांच को केवल उन मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए जहां कोई विशेष संदेह हो।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों/शिक्षा में दिव्यांगता सत्यापन से संबंधित संशोधित परामर्शी एवं एसओपी केवल भविष्यगत (प्रोस्पेक्टिव) रूप से लागू होंगे

एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगता के साथ जन्मे बच्चों को उचित चिकित्सकीय देखभाल और सटीक प्रमाणन प्राप्त हो

एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि जन्मजात दिव्यांग बच्चों को उचित चिकित्सा देखभाल और सटीक प्रमाण पत्र मिलना चाहिए ताकि उन्हें कानूनी लाभ मिल सकें। गलत या फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कम आकलन के कारण अक्सर व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने चिकित्सा बोर्डों द्वारा सख्त सत्यापन की मांग की। न्यायमूर्ति षड़ंगि ने सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और आजीविका सहायता की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर भी बल दिया।

एनएचआरसी,भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि दिव्यांगता ऐसी चीज नहीं है जिसे बार-बार साबित करना पड़े। दिव्यांगजनों का बार-बार सत्यापन होने से उनमें चिंता, भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, खासकर नौकरी की निरंतरता को लेकर। उन्होंने चिकित्सा बोर्डों तक सीमित पहुंच की कमी को उजागर करते हुए कहा कि अपरिवर्तनीय दिव्यांगताओं के मामले में बार-बार जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्यात्मक, आवास-आधारित आकलन, घर-घर जाकर

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कमियां हैं। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां कुछ योग्य दिव्यांगजनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिले। यह भी नकारा नहीं जा सकता कि लाभार्थी कानूनों का दुरुपयोग भी हो सकता है। न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने कहा कि कई बार अधिकारियों से संपर्क करना चुनौतीपूर्ण होता है और केवल प्रभावशाली या शिक्षित परिवार ही प्रभावी ढंग से व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे कानूनी ढांचे और उसके कार्यान्वयन में मौजूद व्यवस्थागत कमियों को दूर करके दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं।

एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने जोर दिया कि दिव्यांगता को बार-बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए

सत्यापन और सेवाएं, समयबद्ध प्रक्रियाएं, अधिकारियों के लिए दिव्यांगता अधिकार प्रशिक्षण, ऑनलाइन पहुंच और समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की मांग की।

इससे पहले, बैठक का एजेंडा तय करते हुए, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के साथ सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, साथ ही कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी मानक परिचालन (एसओपी) के कड़ाई से कार्यान्वयन पर जोर दिया, जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन, दिव्यांगता के प्रकार, प्रतिशत और कार्यात्मक उपयुक्तता का आकलन और एक अपीलीय तंत्र शामिल है। हालांकि, उन्होंने कहा कि दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन दखलंदाजी भरा हो सकता है और लोगों को लगता है कि इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हालांकि 2016 के अधिनियम ने आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से इसका दुरुपयोग करने के कारण वास्तविक दिव्यांगजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामूहिक विचार-विमर्श और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान के लिए सिफारिशें और सुझाव सामने आएंगे।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने बैठक के तीन तकनीकी सत्रों का संक्षिप्त विवरण दिया। ये सत्र थे: 'आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के साथ प्रशासनिक निरीक्षण का सामंजस्य स्थापित करना', 'सत्यापन प्रक्रियाओं में गरिमा और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना' और 'यूडीआईडी ढांचे के माध्यम से डिजिटल सत्यापन को मजबूत करना'।

श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), ने शिविर प्रणाली में दिव्यांगता मूल्यांकन के संचालन के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के संबंध में विभागों, मीडिया और समाज से प्राप्त रिपोर्टों को स्वीकार किया। पुनर्मूल्यांकन के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग का प्राथमिक उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती के चरण में उचित सावधानी सुनिश्चित करना है। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 91 का उल्लेख किया, जिसमें फर्जी दावों के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य प्रवेश स्तर पर दिव्यांगता प्रमाणन की उच्च स्तरीय जांच करना है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि धोखाधड़ी कभी-कभी बाद में फिर से सामने आ सकती है, और ऐसे उदाहरण दिए जहां व्यक्तियों का पता सेवा में शामिल होने के काफी समय बाद चला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई अधिनियम के तहत कानूनी रूप से उचित है।

दिव्यांगजन मामलों के आयुक्त डॉ. एस. गोविंदराज ने कहा कि सत्यापन तंत्र लक्षित और आनुपातिक होना चाहिए ताकि वास्तविक दिव्यांगजनों को अनावश्यक असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देश सामूहिक पुनर्मूल्यांकन के बजाय सत्यापन पर जोर देते हैं।

इस बैठक में एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी, श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र, महानिदेशक (अन्वेषण); श्री जोगिंदर सिंह, रजिस्ट्रार (विधि); श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव; डॉ. पूर्वा मित्तल, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय और एनएचआरसी की विशेष मॉनिटर (महिला एवं दिव्यांगता मुद्दे); प्रो. (डॉ.) अमिता ढांडा, डॉ. सतेंद्र सिंह, निदेशक-प्रोफेसर, फिजियोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी अस्पताल; डॉ. वैभव भंडारी, संस्थापक, स्वावलंबन फाउंडेशन; श्री मुरलीधरन विश्वनाथ, महासचिव, राष्ट्रीय दिव्यांग अधिकार मंच; श्री राजीव रतूड़ी, परामर्शदाता; श्री अरमान अली, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांग रोजगार संवर्धन केंद्र (एनसीपीईडीपी); श्री अखिल एस. पॉल, निदेशक, सेंस इंटरनेशनल (भारत); श्री निपुण मल्होत्रा, सह-संस्थापक, निम्मन फाउंडेशन, आदि उपस्थित थे।

चर्चाओं से निकले कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार थे:

- दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक या व्यापक चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन पर रोक लगाएं;
- स्पष्ट रूप से परिभाषित और साक्ष्य-आधारित संदेह के आधार पर, केवल अपवाद के रूप में चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन के साथ, यूडीआईडी-आधारित डिजिटल सत्यापन को डिफ़ॉल्ट तंत्र के रूप में अपनाएं;
- किसी भी सत्यापन प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को शामिल करें, जिसमें लिखित कारण, जवाब देने का अवसर, समयबद्ध निर्णय और अपील का स्पष्ट अधिकार शामिल हो, साथ ही प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल सेवा कार्रवाई से सुरक्षा भी शामिल हो;

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ देखा जाना चाहिए

▶ दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. एस. गोविंदराज ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए

▶ बैठक का दृश्य

- सत्यापन के दौरान गरिमा-केंद्रित प्रोटोकॉल अपनाएं, जिसमें उचित सुविधा प्रदान करना, बेहतर पहुंच, डिजिटल विकल्प और स्थायी और अपरिवर्तनीय दिव्यांगताओं के लिए अनावश्यक परीक्षण से छूट देना शामिल है;
- मानक परिचालन नियमों (एसओपी) के उद्देश्य और वैधानिक सुरक्षा उपायों से विचलन को दस्तावेजीकृत, समीक्षाकृत और समयबद्ध तरीके से ठीक किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र को मजबूत करें; और
- अपूरणीय दिव्यांगता से के साथ जीवन जी रहे कर्मचारियों को प्रमाण पत्र दोबारा जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करें।

आयोग दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने हेतु विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और इनपुट पर आगे विचार-विमर्श करेगा।

रिपोर्ट

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स की बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने तीन साल की अवधि के लिए 33 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स की नियुक्ति की है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें पूर्व वरिष्ठ सिविल सेवक और कानून प्रवर्तन अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विभिन्न लिंग पहचान वाले समुदाय और दिव्यांग समुदाय के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में आयोग की बहुआयामी गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी देने और नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 22 जनवरी 2026 को उनकी भूमिका के

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि एवं श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण) श्रीमती अनुपमा निलेकर चंद्रा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह तथा संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती सैड़िगपुई छकछुआक के साथ नई दिल्ली स्थित आईएचसी में आयोजित विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटरों की बैठक में उपस्थित

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि यदि एक भी परिवार की सहायता हो जाती है तो विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनिटरों की नियुक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर अधिकार के साथ-साथ गहरी नैतिक जिम्मेदारी भी वहन करते हैं

लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि उनकी नियुक्तियाँ सख्त मानकों और योग्यता, क्षेत्र विशेषज्ञता और रुचि के क्षेत्रों के अनुरूप पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर की गई हैं। इस दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रासंगिक विषयगत क्षेत्रों से जोड़ा जाए, जिससे निगरानी, रिपोर्टिंग और परामर्श कार्यों की गुणवत्ता मजबूत हो। उन्होंने स्वार्थ से ऊपर सामाजिक हितों की सेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की और समाज तक पहुँचने और विकास के लाभों को आम नागरिकों तक पहुँचाने में उनकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने संस्थागत प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक भी परिवार की सहायता करना उनकी नियुक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करेगा, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स से आयोग के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने और छोटे-छोटे क्रमिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

इससे पहले, एनएचआरसी,भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने कहा कि एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर्स के रूप में नियुक्ति न केवल अधिकार बल्कि एक गहन नैतिक जिम्मेदारी भी लाती है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर किए गए अवलोकन के आधार पर, कई लगातार बनी रहने वाली चिंताएं ध्यान देने योग्य हैं। इनमें जेलों में भीड़भाड़, चिकित्सा लापरवाही, लैंगिक और बाल संवेदनशीलता का अभाव, शिकायत निवारण में देरी और अनुवर्ती तंत्र की कमी आदि शामिल हैं। इसलिए, रिपोर्टों को केवल दस्तावेजीकरण से आगे बढ़कर जवाबदेही के साधन के रूप में विकसित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावी निगरानी से सुधारात्मक कार्रवाई, संस्थागत सुधार और कमजोर आबादी की स्थितियों में मापने योग्य सुधार होना चाहिए।

इससे पहले अपने आरंभिक संबोधन में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने मानव अधिकार आयोग की परामर्शी, स्वतः संज्ञान और हस्तक्षेप के

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि विशेष प्रतिवेदक एवं विशेष मॉनिटर अनियमितताओं या निष्क्रियता की पहचान कर 'अंतरात्मा के प्रहरी' के रूप में कार्य करें

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार आयोग की गतिविधियों पर प्रजन्टेशन देते हुए

महत्व पर प्रकाश डाला, जो मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने और जन जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। उन्होंने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स की अवधारणा और विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में उनकी भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुकर्म या निष्क्रियता की पहचान करके 'अंतरात्मा के रक्षक' के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उनसे आयोग की विभिन्न प्रचार गतिविधियों और उससे संपर्क करने के तरीकों को लोकप्रिय बनाने का अनुरोध किया, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप भी शामिल है।

उन्होंने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स से अगले छह महीनों के लिए सहयोगात्मक कार्य की योजना बनाने का अनुरोध किया, जिसमें प्रमुख मानव अधिकार मुद्दों और संबंधित क्षेत्र दौरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र दौरों से प्राप्त जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को नीति निर्माण के लिए सरकार को परामर्शी और सिफारिशें जारी करने में मदद करेगी।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने मानव अधिकार ढांचे, संगठनात्मक संरचना, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, परामर्शी, कोर समूह, दिशा-निर्देश और विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स के कामकाज आदि पर विस्तृत प्रजन्टेशन दी।

अपने अनुभवों के आधार पर, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स ने सभी के लिए मानव अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कुछ चिंताजनक क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र, महानिदेशक (अन्वेषण), श्री जोगिंदर सिंह, रजिस्ट्रार (विधि); श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव; प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, श्री गौरव गर्ग, डीआईजी; लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह, निदेशक; श्री संजय कुमार, उप सचिव; उप रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नव नियुक्त विशेष प्रतिवेदक हैं:

श्री अखिल कुमार शुक्ला; सुश्री शोमिता बिस्वास; श्री उपेन्द्र बघेल; श्री मोहम्मद जमशेद; श्री नित्यानंद श्रीवास्तव; सुश्री साधना राउत; श्री सुभाष चंद्रा; श्री संतोष कुमार शतपथी; श्री प्रवीण सिन्हा; सुश्री सुचित्रा सिन्हा; श्री के. पद्म कुमार; श्री देवेन्द्र कुमार निम; श्री अशीत मोहन प्रसाद; डॉ. केशव कुमार एवं श्री सैयद अहमद बाबा।

नव नियुक्त विशेष मॉनीटर हैं:

प्रो.कन्हैया त्रिपाठी; श्री अजय भटनागर; श्री धनंजय तिंगल; श्री आर. हेमन्त कुमार; श्री डी.एस. धपोला; डॉ. पूर्वा मित्तल; श्री बालकृष्ण गोयल; गोपी शंकर मदुरै; श्री उमा कांत; डॉ. शेरोन मेनेजेस; श्रीमती आरती आहूजा; श्री वीबी कुमार; डॉ. पूनम मालाकोंडैया; श्री हरि नाथ मिश्र; डॉ. प्रदीप्त कुमार नायक; डॉ. मुक्तेश चंदर; डॉ. विजय कुमार एवं श्री आर.के.श्रीनिवासन।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, महानिदेशक (अन्वेषण), रजिस्ट्रार (निधि) एवं वरिष्ठ अधिकारी नव नियुक्त विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के साथ

स्वतः संज्ञान

मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए मीडिया रिपोर्टें एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। वर्षों से, आयोग ने ऐसे कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़ितों को न्याय दिलाया है। जनवरी 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के 5 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस जारी किए। इन मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

दूषित पानी के कारण होने वाली मौतें

(केस संख्या 7/12/21/2026)

31 दिसंबर 2025 को मीडिया में खबर आई कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। खबरों के अनुसार, निवासी कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इलाके में पीने का पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजरती है। बताया जाता है कि इस पाइपलाइन में रिसाव के कारण गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। इसके अलावा, इलाके में कई जल वितरण लाइनें भी टूटी हुई पाई गईं, जिसके कारण दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा था।

दूषित पेयजल के सेवन से टाइफाइड के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि

(केस संख्या 41/6/10/2026)

4 जनवरी 2026 को मीडिया ने गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि की खबर दी, जिसका कारण कथित तौर पर दूषित पेयजल का सेवन था। खबरों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शहर के एक विशेष क्षेत्र में टाइफाइड के कुल 70 सक्रिय मामलों की पुष्टि की। टाइफाइड के मरीजों की संख्या में इस वृद्धि ने नवनिर्मित जल आपूर्ति प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर किया है। जल पाइपलाइन नेटवर्क में रिसाव के सात बिंदु पाए गए हैं, जिसके कारण सीवेज पीने के पानी में मिल रहा है।

इसलिए, आयोग ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घर के अंदर और बाहर टाइफाइड से पीड़ित मरीजों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का विवरण शामिल होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि यह पानी से फैलने वाला संक्रमण है और वे प्राथमिकता के आधार पर मरीजों की शीघ्र पहचान और त्वरित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, गांधीनगर सिविल अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला एक बाल चिकित्सा वार्ड खोला गया है ताकि टाइफाइड के बढ़ते मरीजों (जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं) को संभाला जा सके। मरीज तेज बुखार और पेट संबंधी लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे थे।

महीनों तक झेली गई बंधुआ मजदूरी की यातना

(केस संख्या 710/24/30/2026-बीएल)

12 जनवरी 2026 को मीडिया में खबर आई कि बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 वर्षीय लड़के को कई महीनों तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि वह हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से मिलने के लिए ट्रेन में दोबारा नहीं चढ़ पाया था। कथित तौर पर लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था, लेकिन भीड़ के कारण दोबारा ट्रेन में नहीं चढ़ सका। इसके बाद, उसने आठ महीने तक बंधुआ मजदूरी की और आखिरकार अपनी बाईं कोहनी कटी हुई हालत में घर लौटने में कामयाब रहा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूट जाने के बाद लड़का दो दिन तक रेलवे स्टेशन पर रुका रहा। इसके बाद एक व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा इलाके में ले गया। वहां उससे सुबह से शाम तक काम करवाया जाता था। उसके कामों में मवेशी चराना और चारा काटना शामिल था। मालिक उसे लगातार शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। पीड़ित ने कथित तौर पर गुलामी से भागने की असफल कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और उसकी पिटाई की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि चारा काटने की मशीन चलाते समय उसकी बाईं कोहनी कट गई थी। इसके बाद मालिक ने उसे बिना किसी चिकित्सा सहायता के सड़क पर छोड़ दिया।

खबरों के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति उसे हरियाणा के नूह जिले के एक अस्पताल ले गया, जहां से वह अपने मालिक द्वारा दोबारा पकड़े जाने के डर से भाग गया। वह तीन किलोमीटर से अधिक नंगे पैर चलता रहा, जब तक कि दो सरकारी शिक्षकों ने उसे नहीं देखा। इसके बाद मामले की सूचना हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को दी गई। लड़का अगस्त 2025 में घर लौटा।

समाचार रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना, 2021 के तहत अधिकारियों द्वारा बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। यह पीड़ित के लिए पुनर्वास उपायों और मुआवजे तक पहुंचने के लिए आवश्यक एक अनिवार्य दस्तावेज है।

अतः आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, साथ ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर इस मामले में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बताएं कि क्या कोई मुआवजा दिया गया है और क्या पीड़ित को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अपहरण और बलात्कार

(केस संख्या 790/24/43/2026)

10 जनवरी 2026 को मीडिया में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 5 जनवरी 2026 को एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार की खबर आई। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सब-इंस्पेक्टर है। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का अपहरण 5 जनवरी 2026 को उसके घर के पास से किया गया था। उसे रेलवे लाइन के पास एक जगह ले जाया गया, जहां दो व्यक्तियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

खबरों के मुताबिक, परिवार के सदस्य पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भीमसेन पुलिस चौकी ले गए, लेकिन उन्हें वहां से लौटा दिया गया। इसके बाद परिवार साचेंडी पुलिस स्टेशन गया, जहां अज्ञात कार सवारों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का एफआईआर दर्ज किया गया।

दफनाने के लिए स्थान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

(केस संख्या 273/20/0/2026)

30 जनवरी 2026 को मीडिया में खबर आई कि कालबेलिया समुदाय के लोगों ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में 29 दिसंबर 2025 को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थान की मांग करते हुए एक शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार, कालबेलिया समुदाय नाथ परंपरा का पालन करता है जिसके तहत मृतकों को दफनाया जाता है, न कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अन्य समुदायों के लिए निर्धारित श्मशान घाटों या कब्रिस्तानों के विपरीत, प्रशासन द्वारा कालबेलिया समुदाय के लिए कोई भी दफन स्थल आवंटित नहीं किया गया है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट में निहित तथ्य सत्य हैं, तो यह मानव अधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। अतः आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग का मानना है कि मृतकों की गरिमा बनाए रखना और उनके अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इससे पहले मई 2021 में, आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मृतकों की गरिमा बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में एक परामर्शी जारी की थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शोक संतप्त कालबेलिया परिवारों को आमतौर पर निर्धारित दफन स्थलों की कमी के कारण अपने मृतकों को निजी जमीनों पर दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिणामस्वरूप, उन्हें विरोध, दुर्व्यवहार और कई बार बेदखली का भी सामना करना पड़ता है।

राहत के लिए सिफारिशें

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना है। यह नियमित रूप से विभिन्न मामलों पर विचार करता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। जनवरी 2026 में, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले मामलों के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 36 मामलों और द्वितीय प्रभाग पीठ द्वारा 150 मामलों की सुनवाई की गई। दिसंबर 2025 में, 18 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों (एनओके) के लिए 102.5 लाख रुपये की राशि की सिफारिश की गई, जिनमें यह पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी रक्षा करने में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस संख्या को दर्ज करके एनएचआरसी, भारत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	595/18/10/2023	चिकित्सा लापरवाही के कारण मृत्यु	2.00	ओडिशा सरकार
2.	151/20/12/2018	पुलिस की गोलीबारी में मौत	7.50	राजस्थान सरकार
3.	2073/24/68/2021	पुलिस की मिलीभगत से हुई घटना में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
4.	490/1/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	आंध्र प्रदेश सरकार

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
5.	2954/18/10/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
6.	173/9/7/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	जम्मू और कश्मीर का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
7.	204/18/12/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	ओडिशा सरकार
8.	2284/36/26/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	4.00	तेलंगाना सरकार
9.	14/23/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	त्रिपुरा सरकार
10.	17199/24/48/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
11	106/3/26/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	असम सरकार
12.	153/3/11/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	असम सरकार
13.	87/4/15/2023-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	बिहार सरकार
14.	4933/25/16/2022-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
15.	5/25/2/2023-PCD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल सरकार
16.	3531/4/6/2021-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	बिहार सरकार
17.	2895/12/14/2020-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	मध्य प्रदेश सरकार
18.	355/34/24/2020-पीएफ	पुलिस की गोलीबारी में मौत	5.00	झारखंड सरकार

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

दिसंबर 2025 के दौरान, आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियों/निर्देशों के आधार पर 16 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके परिजनों को 93.5 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस संख्या को दर्ज करके भारत के राष्ट्रीय राजस्व आयोग (एनएचआरसी) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	4101/4/23/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	बिहार सरकार
2.	573/7/6/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	हरियाणा सरकार
3.	697/34/16/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	झारखंड सरकार
4.	107/19/15/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	पंजाब सरकार
5.	366/20/24/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	राजस्थान सरकार
6.	367/36/2/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	तेलंगाना सरकार
7.	86/36/2/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	तेलंगाना सरकार
8.	11266/24/64/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
9.	6917/24/47/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
10.	9164/24/64/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मृत्यु	5.00	उत्तर प्रदेश सरकार
11	766/4/30/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	बिहार सरकार

क्र. सं.	केस नंबर	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
12.	618/33/14/2022-AD	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	छत्तीसगढ़ सरकार
13.	962/34/11/2023-AD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	झारखंड सरकार
14.	2957/18/14/2020-AD	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	ओडिशा सरकार
15.	34472/24/22/2021-AD	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	उत्तर प्रदेश सरकार
16.	127/9/22/2022-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10.00	पंजाब सरकार

केस स्टडी

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि उनके गैरकानूनी कार्यों, निष्क्रियता या चूक के कारण पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए, आयोग ने प्रत्येक मामले के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि इन पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश क्यों न की जाए और दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। राज्य अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिसों के जवाब में अपनाए गए दृष्टिकोण की खूबियों को देखते हुए आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

जन्म प्रमाण पत्र जारी न होना

(केस संख्या 514/30/4/2024)

मामला दिल्ली में 2021 में शिकायतकर्ता की बेटी के जन्म के पंजीकरण में कथित देरी से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने पाया कि यह देरी डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल, रोहिणी द्वारा जन्म संबंधी जानकारी देर से जमा करने के कारण हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल के विशेष कोविड केंद्र के रूप में कार्य करने के कारण व्यवधान उत्पन्न होने से देरी और बढ़ गई। एक वर्ष से अधिक के पंजीकरण के लिए एसडीएम के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने के कारण और देरी हुई, जिससे प्रक्रियात्मक खामियां और कंझावला, नांगलोई और रोहिणी के तीन एसडीएम के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।

आयोग के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क के परिणामस्वरूप अंततः एसडीएम कंझावला ने 24 अप्रैल 2024 को जन्म आदेश जारी किया, जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। आयोग ने माना कि संबंधित अस्पताल अधिकारियों के साथ-साथ एसडीएम कंझावला की लापरवाही के कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई, जिससे शिकायतकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और जिसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि दिल्ली सरकार शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

पुलिस हिरासत में मौत

(केस संख्या 2597/18/3/2021-जेसीडी)

यह मामला 2021 में ओडिशा के कटक पुलिस की हिरासत में एक 31 वर्षीय व्यक्ति की मौत से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित ने चलती पुलिस गाड़ी से छलांग लगाई, गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में चिकित्सा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जांच कार्यवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण लगी कई चोटों का पता चला। मृत्यु का कारण चोटों के परिणामस्वरूप वसा जमाव सिंड्रोम से उत्पन्न हृदय-श्वसन विफलता बताया गया। आयोग ने पाया कि मृतक उस समय पुलिस के नियंत्रण और हिरासत में था और पुलिस कर्मियों ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती, जो एक गंभीर चूक थी। इसलिए, आयोग ने माना कि राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है और ओडिशा सरकार को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

दोषी कैदी की मृत्यु

(केस संख्या 1854/7/18/2019-AD)

यह मामला 2019 में हरियाणा के सिरसा जिला जेल में 43 वर्षीय एक कैदी की मौत से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित को 25 सितंबर 2015 को जेल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी स्वास्थ्य जांच लगभग चार साल बाद 30 जुलाई 2019 को की गई। पीड़ित नशे का आदी था और उसे सीईपीडी (शरीर के बाहरी हिस्से में संक्रमण) की गंभीर समस्या थी। हालांकि, पिछले चार वर्षों के दौरान या अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उसे कोई उचित इलाज नहीं दिया गया। चिकित्सा अभिलेखों में दिए गए किसी भी प्रासंगिक उपचार का उल्लेख नहीं था। उसके शरीर पर चोटें और सभी अंगों में जकड़न देखभाल और उपचार में लापरवाही का संकेत देती हैं। आयोग ने माना कि कैदियों की भलाई और सुरक्षा

जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी है और राज्य उनकी ओर से किसी भी चूक या लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसलिए, हरियाणा सरकार को पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की गई, जो कि दे दी गई। यह भी बताया गया कि जेल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

न्यायिक हिरासत में आत्महत्या

(केस संख्या 3370/4/26/2018-जेसीडी)

यह मामला 2018 में बिहार के पटना जिले के बेउर स्थित आदर्श केंद्रीय जेल में एक कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित मानसिक रूप से बीमार था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उसे विशेष देखभाल प्रदान नहीं की गई और न ही उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया गया। उसने दिनदहाड़े जेल परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आयोग ने माना कि चूंकि कैदी जेल अधिकारियों की हिरासत और नियंत्रण में था, इसलिए राज्य अपने जेल कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि बिहार सरकार मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

आत्महत्या के कारण मृत्यु

(केस संख्या 5/25/2/2023-PCD)

यह मामला पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मेजिया पुलिस स्टेशन की हिरासत में वर्ष 2023 में एक व्यक्ति की आत्महत्या से संबंधित था। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाया कि पीड़ित को 48 घंटे से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखा गया था और उसने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। आयोग ने माना कि मृतक की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस अधिकारियों का दायित्व है। जाहिर तौर पर, पुलिस स्टेशन में तैनात चौकीदार की ओर से लापरवाही हुई थी। इसलिए, आयोग ने राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की, जिसका भुगतान कर दिया गया।

घटनास्थल पूछताछ

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में घटनास्थल पर जाकर जांच करने के लिए समय-समय पर अन्वेषण अधिकारियों की अपनी टीम नियुक्त करता है।

केस संख्या 3717/12/38/2025

29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश के सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के आरोप की घटनास्थलजांच की गई। शिकायतकर्ता ने तत्काल स्वतंत्र जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

क्षेत्रीय दौरे

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की परामर्शी, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया जा सके। वे सरकारी अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आश्रय स्थलों, कारागारों और निगरानी गृहों का भी दौरा करते हैं। इन दौरों के दौरान, राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि इससे आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को शीघ्रता से हल करने में सहायता मिलती है।

8 जनवरी 2026 को, एनएचआरसी की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के चंदननगर स्थित सरकारी आदिवासी बालक आश्रम स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे को संतोषजनक पाया, लेकिन बच्चों के दैनिक जीवन में देखभाल, सम्मान, खुशी और सुरक्षा का अभाव था। उन्होंने छात्रावास में देखरेख की कमी भी देखी। सदस्या ने इंदौर में भिखारियों के लिए बने एक आश्रय गृह का भी दौरा किया। यह आश्रय गृह, जिसे सुरक्षा और पुनर्वास के स्थान के रूप में बनाया गया था, वास्तव में एक कैदखाने की तरह कार्य कर रहा था। उन्होंने वहां खराब स्वच्छता, वेंटिलेशन की कमी, निवासियों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और लापरवाह प्रबंधन भी पाया।

9 जनवरी 2026 को उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के सावेर रोड स्थित आदिवासी बॉयज़

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी केरल के एर्नाकुलम में एक वृद्धाश्रम का दौरा करते हुए

कॉलेज हॉस्टल का दौरा किया और छात्रों से बातचीत करके उनकी शिकायतों को सुना। उन्होंने देश के सभी सामाजिक कल्याण छात्रावासों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सुरक्षा, संरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने और जवाबदेह प्रशासन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

16 जनवरी 2026 को माननीय सदस्या ने केरल के एर्नाकुलम स्थित एक वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने पाया कि वहां का भोजन और बुनियादी ढांचा संतोषजनक था। उन्होंने यह भी देखा कि बुनियादी सुविधाओं के अलावा, बुजुर्ग निवासियों को स्नेह, भावनात्मक देखभाल और साथ का अभाव था। वे अपने लिए बनाई गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से भी अनभिज्ञ थे। उन्होंने सरकारी बालक अवलोकन गृह का भी दौरा किया और पाया कि किशोर न्याय अधिनियम में सुधारात्मक और बाल-हितैषी देखभाल पर जोर दिए जाने के बावजूद, बच्चों को एकांत में रखा जाता है और उन्हें पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता, स्वच्छता और सामाजिक मेलजोल नहीं मिल पाता है।

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

एन भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त किया है। ये प्रतिवेदक आश्रय गृहों, कारागारों, निगरानी गृहों और इसी प्रकार के संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशेष मॉनीटर्स को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

विशेष प्रतिवेदक

- 12 से 14 जनवरी 2026 तक, श्री आशीष मोहन प्रसाद ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए मंगलुरु उप जेल का दौरा किया। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।
- 28 से 31 जनवरी 2026 तक, श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने झारखंड राज्य में कथित डायन-प्रथा की घटनाओं के संबंध में पूर्वी सिंहभूम, सेराइकेला, खरसावां, रांची और जमशेदपुर का दौरा किया।

विशेष मॉनीटर

- श्री बालकृष्ण गोयल ने 27 से 31 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर जिलों में स्थित अवलोकन गृहों, सुरक्षा केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जिला जेल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रमों का दौरा कर मानव अधिकार स्थिति का आकलन किया। उन्होंने बाल अधिकारों और बुजुर्ग नागरिकों के कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी कीं।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करते हुए

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

एन भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन तथा उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और मुकदमों सहित विभिन्न अन्य गतिविधियों का आयोजन करता है ताकि विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके। इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किए जाते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को दिल्ली में यात्रा और रहने के खर्च के बिना ही ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (OSTI) आयोजित किए जाते हैं। एक महीने के प्रत्यक्ष इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

9 जनवरी 2026 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) का चार सप्ताह का शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी) नई दिल्ली में संपन्न हुआ। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त 1,485 से अधिक आवेदनों में से 80 छात्रों का चयन किया गया और उन्होंने सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा किया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं की सोच को व्यापक बनाना और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करना है ताकि वे एक इंसान के रूप में अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसका उद्देश्य जिज्ञासा जगाना और सीखने की ललक पैदा करना भी है ताकि वे जीवन में एक उद्देश्य पा सकें। आज आप जो हैं और कल आप जो थे, उसके बीच एक प्रतिस्पर्धा अवश्य होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हर चीज से सीखना संभव है और जीवन में खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी पसंद के कामों को पूरी एकाग्रता के साथ रचनात्मक ढंग से करें। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे इंटर्नशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान का प्रसार करें और मानव अधिकारों के दूत बनें।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। इस प्रकार, इंटर्नशिप एक-दूसरे से सीखने और अपने देश को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करती है। रामायण की शिक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और लोगों को अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देना चाहिए।

प्रशिक्षुकों को बधाई देते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि इस इंटर्नशिप के माध्यम से मानव और मानव अधिकारों को समझने के बीज बोए गए हैं। उन्हें कुछ सर्वश्रेष्ठ विद्वानों से सीखने का अवसर मिला, जिन्होंने मानव अधिकार

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य इंटर्नों की सोच का विस्तार करना और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित कर उन्हें बेहतर इंसान के रूप में जीवन में मूल्य जोड़ने हेतु प्रेरित करना है

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने कहा कि इंटर्नों को कुछ श्रेष्ठतम से सीखने का अवसर मिला

▶ अधिकारीगण एवं इंटर्न समापन समारोह में भाग लेते हुए

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि एनएचआरसी के साथ इंटर्नशिप जैसे अवसर छात्रों की जीवन, गरिमा, सम्मान और शालीनता की समझ को गहरा करते हैं

▶ एनएचआरसी, भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

तंत्रों के बारे में अपना ज्ञान और दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे समाज की बेहतरी के लिए सार्थक योगदान देंगे।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि अच्छे इंसान बनने के लिए सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कुछ पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को दूर करना। एनएचआरसी के साथ इंटर्नशिप जैसे अवसर छात्रों को जीवन, गरिमा, सम्मान और शिष्टता की गहरी समझ प्रदान करते हैं। अंततः, ये वही मूल्य हैं जो व्यक्ति अपने साथ रखता है और जो जीवन में मायने रखते हैं। उद्देश्य और मूल्यों के बिना कौशल और ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जीवन के उद्देश्य से प्रेरित जिम्मेदार नागरिक बनने का आग्रह किया। महासचिव ने कहा कि यह इंटर्नशिप प्रशिक्षुओं को मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि समाज को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके।

एनएचआरसी भारत की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रजन्टेशन और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं की प्रतिबद्धता, समर्पण और सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने प्रशिक्षुओं से सभी के लिए न्याय, गरिमा और समानता के विचार को आत्मसात करने का आग्रह किया।

समारोह का समापन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर एनएचआरसी, भारत के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और उप महानिरीक्षक (अन्वेषण) श्री गौरव गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न आयोगों और मंत्रालयों के सेवारत और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों सहित प्रख्यात वक्ताओं के सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षुओं ने तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और SHEOWS एनजीओ का दौरा भी किया ताकि वे वास्तविक चुनौतियों और मानव अधिकार वकालत के व्यावहारिक पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष, सदस्यों, महासचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किए गए थे। इनका आयोजन आयोग के सहयोग से विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया था।

- 14 जनवरी 2026 को, केरल के कालीकट स्थित प्रोविडेंस महिला महाविद्यालय के राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने मानव अधिकारों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 100 छात्राओं ने भाग लिया।

- 15 जनवरी 2026 को ओडिशा के बालासोर स्थित बस्ती क्षेत्र विकास परिषद (एनजीओ) ने 'महिलाओं के अधिकारों' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया।

- 17 जनवरी 2026 को, भारतीय विधि संस्थान द्वारा जेल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने जेल सुधारों को सुदृढ़ करने में आयोग की भूमिका पर एक सत्र को संबोधित किया।

- 21 जनवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विधि अध्ययन विद्यालय के विधि विभाग द्वारा आयोजित 'भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार को बढ़ावा देना: मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य' विषय पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। लगभग 200 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

- 30 जनवरी 2026 को नार्थ कैप यूनिवर्सटी, गुरुग्राम (हरियाणा) द्वारा 'भारत में बाल अधिकारों की पुनर्कल्पना: नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव का आकलन' विषय पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एनएचआरसी की पीओ, श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान थीं।

- 31 जनवरी 2026 को एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने एनएलयू ओडिशा, कटक द्वारा आयोजित 'मानवाधिकार के रूप में समावेशी उच्च शिक्षा: भारतीय विश्वविद्यालयों में लैंगिक, आयु तथा अंतर्संबंधित असमानताओं का समाधान' विषयक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

ज्ञानार्जन दौरे

महाविद्यालय स्तर के छात्रों और उनके संकाय सदस्यों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) उन्हें आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुसार इसके कामकाज को समझ सकें। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें आयोग के कामकाज और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित ज्ञानार्जन दौरे आयोजित किए गए:

- विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र के विधि विभाग से 18 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली से 47 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज के 40 छात्रों के एक समूह ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात के 21 छात्रों तथा 3 संकाय सदस्यों ने एन एच आर सी का दौरा किया।

- सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ, नरेला, दिल्ली के 60 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- एसआरएम (SRM) इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु से 25 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने एनएचआरसी का दौरा किया।

- ओरिएंटल कॉलेज ऑफ लॉ, सनपाड़ा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के 32 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक समूह ने एनएचआरसी का दौरा किया।

मूट कोर्ट

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय विधि आयोग (एनएचआरसी) के सहयोग से 9 जनवरी 2026 से तीन दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधि आयोग के रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह ने समापन सत्र को संबोधित किया।

नव नियुक्ति

श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र ने 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत में महानिदेशक (अन्वेषण) के रूप में कार्यभार संभाला। बिहार कैडर की 1994 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी, आयोग में शामिल होने से पहले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने अपने कैडर के राज्य और केंद्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्हें सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थितियों, वामपंथी उग्रवाद, संगठित अपराध और भारत-नेपाल सीमा पर पुलिसिंग, पुलिस अनुसंधान, प्रशिक्षण सुधार, कार्यप्रणाली ब्यूरो की स्थापना और जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण में व्यापक अनुभव है। वह जेल सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति (2020-2022) की सदस्य थीं, जिसने 27 दिसंबर 2022 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

उन्होंने आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2023 और 50 कारागार प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई और अंतरिक्ष विभाग के एडीआरआईएन के साथ पुलिसिंग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रशिक्षण की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों में स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों के नामांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत 'अपराध का विखंडन और मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों की आपराधिकता' विषय पर कानून में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अधिकारी ने राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली से 64वां एनडीसी पाठ्यक्रम भी पूरा किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए आयोग के कामकाज को समझने हेतु अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों से बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों का दौरा करते हैं।

श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों का दौरा

28 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने श्रीलंका के 40 वरिष्ठ सिविल सेवकों की मेजबानी की, जो आयोग के एक ज्ञानार्जन दौरे पर आए थे। उन्होंने विदेश मंत्रालय (एमईए) के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के सर्वोच्च स्तर के शासन और सार्वजनिक नीति संस्थान, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा आयोजित 14वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग का दौरा किया।

सरकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सुशासन और देश के विकास को मजबूत करने के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका में कई समानताएं हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली समान कानून प्रणाली और समान रूप से कार्य करने वाली अदालतें शामिल हैं। कानून और शासन व्यवस्था अक्सर आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं, जो किसी देश में होने वाली घटनाओं को निर्धारित करते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सुशासन तथा देश की प्रगति को सुदृढ़ करने के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं

न्यायमूर्ति श्री रामासुब्रमण्यन ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में कानूनों और शासन प्रणालियों को आकार देने में सिविल सेवा अधिकारी विधायिका और न्यायपालिका के बीच कड़ी का काम करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए उन्हें उन बाहरी और आंतरिक कारकों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है जो उनके देश के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश के संसाधन बिना किसी भेदभाव के आम आदमी तक पहुंचें ताकि अशांति को रोका जा सके। हाल ही में कई देशों में हुई कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों को सोशल मीडिया पर होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए ताकि वे समय रहते प्रभावी निवारक कदम उठाकर अपने देश को संभावित अशांति से बचा सकें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने 'भारत में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचा' विषय पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए, भारत के सभ्यतागत मूल्यों जैसे

▶ श्रीलंका से आए वरिष्ठ सिविल सेवकगण का दौरा

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने बल दिया कि क्षमता-निर्माण का केंद्र सीखने, चिंतन करने और संस्थागत मूल्यों को आत्मसात करने पर होना चाहिए

▶ एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी (प्रशासन) डॉ. ए. पी. सिंह ने कहा कि विभिन्न देशों के सिविल सेवकों के साथ संवाद/परिचय से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है

सहानुभूति, करुणा और अहिंसा को शासन का नैतिक आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की बहुलवादी परंपराओं, स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों ने सबसे कमजोर वर्गों पर केंद्रित मानव अधिकार विमर्श को आकार दिया है। संवैधानिक ढांचे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और न्यायपालिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गरिमा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुशासन के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और कमजोर शासन व्यवस्था संस्थाओं और सामाजिक स्थिरता को नष्ट कर सकती है, और कहा कि मजबूत संस्थाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और जीवन की सुगमता में प्रत्यक्ष रूप से सुधार करती हैं।

श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि क्षमता निर्माण में सीखने, चिंतन करने और संस्थागत मूल्यों को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में भारत के शासन अनुभव और श्रीलंका के साथ सहयोग का हवाला देते हुए, उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत के निरंतर समर्थन को रेखांकित किया। उन्होंने प्राप्त शिकायतों की भारी संख्या का उल्लेख करते हुए, मानव अधिकार उल्लंघनों की निगरानी और परामर्श जारी करने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्रों में एनएचआरसी, भारत की भूमिका को स्पष्ट किया। वैश्विक दक्षिण की एकजुटता, न्याय वितरण और संस्थागत विश्वसनीयता पर बल देते हुए, उन्होंने मानव अधिकार , महिला नेतृत्व और ई-मार्केटप्लेस खरीद जैसे सुधारों में भारत के वैश्विक योगदान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, मानव अधिकार निकायों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों सहित स्वतंत्र संस्थानों की लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रशासन प्रभारी डॉ. एपी सिंह ने श्रीलंका के दौरे पर आए सिविल सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीजीजी विभिन्न देशों के वरिष्ठ सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत के शासन संबंधी अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है, ताकि वे उनसे सीख सकें, उन्हें अपना सकें और संभवतः अपने देशों में सफल तरीकों को लागू कर सकें। इससे भारत और साझेदार देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और प्रशासनिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलती है।

इससे पहले, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक ने श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल और उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

एपीएफ मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम

19 से 21 जनवरी 2026 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्रतिनिधि अधिकारी श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने कुआलालंपुर, मलेशिया में 'एनएचआरआई लैंगिक रणनीति का विकास' विषय पर एनएचआरआई अधिकारियों के लिए आयोजित मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम एशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान मंच (एपीएफ) द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल के साथ-साथ प्रतिभागियों के लिए एक कार्यशाला और विचारों का आदान-प्रदान भी शामिल था। उन्हें टूलकिट विकसित करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

▶ एनएचआरसी, भारत की प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान मलेशिया के कुआलालंपुर में एनएचआरआई अधिकारियों के लिए आयोजित ब्लेंडेड लर्निंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

ऑनलाइन सहभागिता

- 21 जनवरी 2026 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव और सुश्री प्रेरणा हसीजा, जेआरसी, एनएचआरसी ने व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की ऑनलाइन मासिक बैठक में भाग लिया।
- 28 जनवरी 2026 को, श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, सुश्री वर्षा आप्टे, परामर्शदाता (अनुसंधान) और सुश्री प्रेरणा तारा, जेआरसी, एनएचआरसी ने पराग्वे के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (डिफेंसरिया डेल प्यूब्लो डी पराग्वे) के साथ एक द्विपक्षीय ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तार और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें कार्यपालिका के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं। देश में एक जीवंत मीडिया भी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) देश में मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राष्ट्रीय आयोगों को क्षेत्रीय स्तर पर राज्य स्तरीय आयोगों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये संस्थाएँ अधिकारों और कल्याणकारी उपायों की निगरानी करती हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस लेख का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एसएचआरसी द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को उजागर करना है।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने राज्य के धारवाड़ जिले में कथित ऑनर किलिंग के एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया। 6 जनवरी 2026 को कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. टी. शाम भट्ट और सदस्य श्री एस.के. वंतीगोडी ने हुबली तालुक के इनाम वीरपुर गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने इस घटना को गंभीरता से

▶ केएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. टी. शाम भट्ट एवं सदस्य श्री एस. के. वंटीगोड़ी बेलगावी स्थित हिंदालगा सेंट्रल जेल का निरीक्षण करते हुए

लिया है और राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा। उन्होंने अधिकारियों से जिला प्रशासन, जिला पंचायत, पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करने का आग्रह किया। उन्हें गांवों में शांति बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि गलत सूचनाओं को रोका जा सके और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मानसिक सहायता, कानूनी सहायता और आवश्यक राहत प्रदान करके विश्वास कायम किया जा सके।

▶ केएसएचआरसी द्वारा बेलगावी में पूर्ण पीठ की बैठक आयोजित करते हुए

7 जनवरी 2026 को आयोग ने बेलगावी जिले में पूर्ण पीठ की बैठक आयोजित की। आयोग ने उपायुक्त, जिला पंचायत प्रमुख, पुलिस अधीक्षक और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों से जुड़े अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायतकर्ताओं की बात सुनी। केएसएचआरसी ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया।

बाद में, आयोग ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए दोनों जिलों में सरकारी और सरकारी वित्त पोषित सुविधाओं का औचक दौरा किया। इनमें जेलें, सरकारी लड़कियों और लड़कों के छात्रावास, पुलिस स्टेशन, सरकारी अस्पताल और अन्य संस्थान शामिल थे। कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य ने जनता और विभिन्न सामुदायिक समूहों के साथ भी बातचीत की।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) ने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आयोग ने तीन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें हैदराबाद के दार-उल-शिफा और मलकपेट में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सरकारी छात्रावासों को बंद करने का मामला शामिल है, जिससे लगभग 120 दृष्टिबाधित छात्र प्रभावित हुए; यूसुफगुडा डंपिंग यार्ड में कथित लापरवाही और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के कारण एक सफाईकर्मी की मृत्यु; और खैरताबाद में साढ़े चार साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते का हमला।

टीएसएचआरसी ने चिकित्सा लापरवाही के एक मामले में 8 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की, जिसमें बीमारी के देर से निदान के कारण एक महिला मरीज की मृत्यु हो गई थी। टीएसएचआरसी ने पीड़ित महिला के पति को राज्य सरकार द्वारा नौकरी देने की भी सिफारिश की।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने 30 जनवरी 2026 को भोपाल स्थित पर्यावास भवन में अपने एक महीने के शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का समापन किया। 33 विधि छात्रों ने इसे पूरा किया। कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने छात्रों से इंटर्नशिप के दौरान विभिन्न सत्रों में प्राप्त मानव अधिकारों के ज्ञान को आत्मसात करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार जीवन भर की प्रतिबद्धता है। यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें सभी कानूनी उपायों का सहारा लेकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रयास एक बेहतर और मजबूत समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान देंगे, जिससे हमारे देश की प्रगति में सहायता मिलेगी।

▶ एमपीएसएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप एवंसिंह अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण प्रशिक्षुओं के साथ

संक्षेप में समाचार

- 1 जनवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत ने वैश्विक समुदाय के साथ नव वर्ष का जश्न मनाया। आयोग में आयोजित एक सभा में सभी को शुभकामनाएं देते हुए, अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि एक अच्छा परिवार और स्वास्थ्य तथा ईश्वर की कृपा से लोग जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि और महासचिव श्री भरत लाल ने भी सभा को संबोधित किया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एनएचआरसी का हिस्सा होने के नाते दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एनएचआरसी कर्मचारियों के जिन बच्चों ने आयोग द्वारा

आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में तीन श्रेणियों में जीत हासिल की और बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें भी पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे नव वर्ष के पहले दिन उन्हें जीवन में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

- 5 जनवरी 2026 को, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली के चिन्मय मिशन में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के 38 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने फाउंडेशन की प्रेरणादायक यात्रा पर प्रकाश डाला, जिसमें यह एक नागरिक-नेतृत्व वाली पहल से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित संस्था बन गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास से लेकर महिला सशक्तिकरण, नशामुक्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पुलिस साझेदारी तक, डॉ. किरण बेदी के गतिशील नेतृत्व में नवज्योति की समग्र भागीदारी ने जमीनी स्तर पर गरिमा, अनुशासन और आशा को पुनर्स्थापित किया है। श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा नेतृत्व पद के बारे में नहीं, बल्कि उद्देश्य के बारे में होता है। नवज्योति इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन के लिए संस्थाओं का निर्माण परिवर्तन को अनिवार्य बना देता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे लोगों को प्रेरित करें और उन्हें ऐसे परिवर्तनकारी कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करें जो जीवन को बेहतर बनाते हैं, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के जीवन को।

- 5 से 16 जनवरी 2026 तक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा नई दिल्ली के रोहिणी परिसर में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 11वें व्यापक पाठ्यक्रम में अवर सचिव (जीए) मेजर विष्णु एसपी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद (एनएचआरसी) के कनिष्ठ अनुसंधान परामर्शदाता श्री

राघवेंद्र सिंह ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात पेशेवरों द्वारा संवादात्मक व्याख्यान दिए गए, जिनमें एनडीएमए की सदस्य सुश्री रीता मिसल और एनडीएमए के सलाहकार श्री सफ़ी हसन रिज़वी शामिल थे। प्रतिभागियों ने सैद्धांतिक सत्रों और क्षेत्र अभ्यासों, जैसे कि जोखिम विश्लेषण, खोज एवं बचाव अभियान प्रदर्शन, सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा तकनीक, मनो-सामाजिक मूल्यांकन तकनीक और आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से, उन्होंने भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे की व्यावहारिक और सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर, उन्हें एनआईडीएम, रोहिणी के कार्यकारी निदेशक श्री महूप व्यास द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

- 12 जनवरी 2026 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगि ने भुवनेश्वर, ओडिशा में सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा आयोजित 'भारतीय संविधान और मानव अधिकारों का संरक्षण' विषय पर एक सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 12 जनवरी, 2026 को, एनएचआरसी, भारत सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के सभागार में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का उल्लेख किया, जिनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित, सशक्त और आत्मविश्वासी न हों। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों की दूरदृष्टि की प्रशंसा की, जो युवाओं की अपार क्षमता में विश्वास रखते थे। विशेषकर युवा महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण दुनिया में स्वामी विवेकानंद का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक है, और हर किसी को खुद पर विश्वास करना चाहिए।

- 14 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 'अरावली परिदृश्य का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन: अरावली हरित दीवार को सुदृढ़ करना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

- 16 जनवरी 2026 को, नई दिल्ली स्थित आईआईसी में आयोजित जन स्वास्थ्य परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2026 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने 'वन हेल्थ टू प्लेनटेरी हेल्थ' विषय पर मुख्य भाषण दिया। यह भाषण जन स्वास्थ्य पर समग्र रूप से पुनर्विचार करने का एक सामयिक आह्वान था। श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि जन स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। जीवन के

अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित है, जो आज की दुनिया में मूलभूत मानव अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों के देश में स्वास्थ्य सेवा को केवल उपचार तक सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और ग्रह की देखभाल भारत की जन स्वास्थ्य रणनीति का केंद्रबिंदु होना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। 200 से अधिक प्रतिभागियों और प्रख्यात विशेषज्ञों की उपस्थिति वाले इस शिखर सम्मेलन में जन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला गया, और मुख्य भाषण ने एक समृद्ध पैनल चर्चा के लिए आधार तैयार किया।

- 26 जनवरी 2026 को, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों एवं सीआईएसएफ कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन पूर्ववर्तियों के अमूल्य योगदान और बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें यह गणतंत्र प्रदान किया। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल मूल्यों को दृढ़तापूर्वक कायम रखते हुए और सभी के मानव अधिकारों और गरिमा की रक्षा एवं संवर्धन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इसे और अधिक सशक्त बनाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

- 29 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली स्थित मुख्य सत्र कक्ष में विज्ञान और सार्वजनिक नीति के अंतर्संबंध पर भारतीय मनोचिकित्सा सोसायटी के 77वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। चर्चा का मुख्य विषय 'समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सा को बंधनमुक्त करना' था।

- 29 जनवरी, 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली के बाबा गंग नाथ मार्ग स्थित पुराने जेएनयू परिसर में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में आयोजित छठे डी एंड आईएसए फेलोशिप के प्रतिभागियों को 'मानव अधिकार केवल कानूनी ढांचा नहीं बल्कि राष्ट्र के मूल मूल्यों का प्रतिबिंब' विषय पर संबोधित किया।

- 30 जनवरी 2026 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली स्थित आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस में 'दैनिक जीवन में मानव अधिकार' विषय पर व्याख्यान दिया।

आगामी कार्यक्रम

2 से 13 फरवरी 2026 और 9 से 20 मार्च 2026 तक	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए अपने दो ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करेगा।
20 फरवरी 2026	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत अपने परिसर में कर्मचारियों के लिए 'जागरूकता से कार्रवाई तक: पीओएसएच के अंतर्गत लैंगिक संवेदनशीलता' विषय पर एक लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उन पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करना है जो लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं, और सभी लिंगों के लिए अधिक सम्मानजनक और समान कार्यस्थल का निर्माण करना है।
24th February 2026	NHRC, India will organise an open house discussion on 'Rethinking Beggary: Bridging Gaps between Policy, Practice and Dignity' at its premises.
25 फरवरी 2026	एनएचआरसी, भारत अपने परिसर में 'भारत में नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के उपाय' विषय पर हाइब्रिड मोड में एक खुली चर्चा का आयोजन करेगा।
25 फरवरी 2026	एनएचआरसी, भारत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा पर एक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
23 से 29 मार्च 2026 तक	भारत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत) नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) ढांचे के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले के 4 कार्यक्रमों में 27 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के 132 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और वैश्विक दक्षिण में मानव अधिकारों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना है।

जनवरी 2026 में प्राप्त शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	5,037
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	4,380
आयोग द्वारा विचाराधीन मामलों की संख्या	45,360

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95